

Annexure -3

कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: Skills Lab Establishment

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Additional Building/ Major Upgradation of existing Structure

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): B.5.10.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य में नर्सिंग शिक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य में स्थित कुल 22 नर्सिंग स्कूलों में स्किल लैब की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त है। प्राप्त स्वीकृति के आधार पर सभी 22 नर्सिंग स्कूलों में स्किल लैब की स्थापना का कार्यपूर्ण कर दिया गया है। अतः स्किल लैब की स्थापना के उपरान्त संबंधित एजेंसी (मेसर्स केडिया साइंटिफिक एण्ड सर्जिकल) के विपत्र भुगतान हेतु राशि संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। एकरारनामा के अनुरूप Equipments के लिए दो वर्ष तक Retain की जानेवाली 10 प्रतिशत राशि तथा Mannequins के लिए तीन वर्ष तक Retain की जानेवाली 10 प्रतिशत राशि को काटकर शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित जिलों को आवंटित की जा रही है। वारंटी की अवधि समाप्त होने पर पुनः शेष 10 प्रतिशत राशि समय पर जिलों को आवंटित कर दी जाएगी। तत्काल जिलों को केवल 90 प्रतिशत भुगतान की राशि आवंटित की जा रही है।

इकाई राशि (रु० में) :

- रु० 38,15,149/- प्रति जिला बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण।

वित्तीय दिशा निर्देश :

- जिलों को आवंटित राशि जिले में स्थित सरकारी ए.एन.एम. स्कूल में स्किल लैब की स्थापना के उपरान्त संबंधित एजेंसी (मेसर्स केडिया साइंटिफिक एण्ड सर्जिकल) के विपत्र भुगतान हेतु दी जा रही है।
- स्किल लैब की स्थापना हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति और मेसर्स केडिया साइंटिफिक एण्ड सर्जिकल के बीच हस्ताक्षरित एकरारनामा (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के Website पर उपलब्ध) के अनुरूप एजेंसी के विपत्र का भुगतान राज्य एवं जिला स्तर से संबंद्ध रूप से गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रदत्त Inspection Certificate के आधार पर किया जाना है।
- राज्य स्तर से Inspection Certificate की पूर्णरूपेण समीक्षा एवं जांच के उपरान्त अभिप्रमाणित Certificate संबंधित एजेंसी को हस्तगत कराया जाएगा। तदुपरान्त संबंधित एजेंसी राज्य स्तर पर अभिप्रमाणित Inspection Certificate के आधार पर भुगतान हेतु संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को विपत्र समर्पित करेगी।
- सभी नर्सिंग स्कूलों में स्किल लैब की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही अब तक कुल 12 स्कूलों के Inspection Certificate को राज्य स्तर से अभिप्रमाणित कर संबंधित एजेंसी को समर्पित कर दिया गया है। शेष 10 स्कूलों के Inspection Certificate की राज्य स्तर से जांच प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही अभिप्रमाणित Inspection Certificate एजेंसी को हस्तगत करा दिया जाएगा।
- एकरारनामा के अनुरूप एजेंसी के विपत्र भुगतान से पूर्व जांच की सभी प्रक्रियाएं राज्य स्तर पर पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही एजेंसी को अभिप्रमाणित Inspection Certificate हस्तगत कराया जाता है। अतः राज्य स्तर पर अभिप्रमाणित Inspection Certificate के आधार पर समर्पित विपत्र के अनुरूप एजेंसी का भुगतान किया जाना है।
- जिलों को राशि का आवंटन एकरारनामा के अनुरूप Equipments और Mannequins की Warranty Period के लिए रखी जाने वाली 10 प्रतिशत राशि को काटकर की जा रही है। अतः प्रत्येक जिले को आवंटित संपूर्ण राशि संबंधित एजेंसी के भुगतान हेतु दी जा रही है।
- एकरारनामा के अनुरूप एजेंसी द्वारा विपत्र समर्पित करने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान कर दिया जाना है। विलंब की स्थिति में एजेंसी द्वारा Intrest Charge करने का प्रावधान है।

- अतः जिन जिलों में संबंधित एजेंसी द्वारा विपत्र समर्पित कर दिया गया है, वे राशि प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र हीं भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। जिन जिलों में एजेंसी द्वारा विपत्र समर्पित नहीं किया गया है, वे विपत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर हीं भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी संबंधित जिलों को भुगतान की राशि आवंटित की जा रही है। अतः भुगतान में विलंब होने पर एजेंसी द्वारा Intrest Charge करने की स्थिति में अतिरिक्त राशि के भार की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति की होगी।
- संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति एजेंसी के भुगतान के उपरान्त अविलंब सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराएंगे।
- उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा (SOE) असैनिक शल्य चिकित्सक सह सदस्य सचिव, संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का खर्च सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करते हुये बिहार सरकार की वित्तीय नियमावली 2005 के आलोक में की जाएगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : डॉ० वाई० एन० पाठक
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नर्सिंग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9470003829




क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम: Skills Lab Establishment

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Spillover of Ongoing Works

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर):
B.5.10.1.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य में नर्सिंग शिक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य में स्थित कुल 22 नर्सिंग स्कूलों में स्किल लैब की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त है। प्राप्त स्वीकृति के आधार पर सभी 22 नर्सिंग स्कूलों में स्किल लैब की स्थापना का कार्यपूर्ण कर दिया गया है। अतः स्किल लैब की स्थापना के उपरान्त संबंधित एजेंसी (मेसर्स केडिया साइंटिफिक एण्ड सर्जिकल) के विपत्र भुगतान हेतु राशि संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। एकरारनामा के अनुरूप Equipments के लिए दो वर्ष तक Retain की जानेवाली 10 प्रतिशत राशि तथा Mannequins के लिए तीन वर्ष तक Retain की जानेवाली 10 प्रतिशत राशि को काटकर शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित जिलों को आवंटित की जा रही है। वारंटी की अवधि समाप्त होने पर पुनः शेष 10 प्रतिशत राशि समय पर जिलों को आवंटित कर दी जाएगी। तत्काल जिलों को केवल 90 प्रतिशत भुगतान की राशि आवंटित की जा रही है।

इकाई राशि (रु० में) :

- रु० 38,15,149/- प्रति जिला सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिमी चंपारण।
- रु० 1,29,46,271/- पटना जिला।

वित्तीय दिशा निर्देश :

- सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिमी चंपारण को आवंटित राशि जिले में स्थित सरकारी ए.एन.एम. स्कूल में स्किल लैब की स्थापना के उपरान्त संबंधित एजेंसी (मेसर्स केडिया साइंटिफिक एण्ड सर्जिकल) के विपत्र भुगतान हेतु दी जा रही है।
- जिला स्वास्थ्य समिति, पटना को आवंटित राशि ए.एन.एम. स्कूल बाढ़, जी.एन.एम. स्कूल, पी.एम.सी.एच. पटना तथा एन.एम.सी.एच. पटना में स्थापित स्किल लैब के भुगतान हेतु दी जा रही है।

✓

- जिला स्वास्थ्य समिति, पटना को ए.एन.एम. स्कूल बाढ़ के लिए ₹० ३८,१५,१४९/- तथा जी.एन.एम. स्कूल, पी.एम.सी.एच. पटना एवं एन.एम.सी.एच. पटना के लिए ₹० ४५,६५,५६१/- प्रति स्कूल की दर से राशि आवंटित की जा रही है।
- स्किल लैब की स्थापना हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति और मेसर्स केडिया साइंटिफिक एण्ड सर्जिकल के बीच हस्ताक्षरित एकरारनामा (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के Website पर उपलब्ध) के अनुरूप एजेंसी के विपत्र का भुगतान राज्य एवं जिला स्तर से संबंध रूप से गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रदत्त Inspection Certificate के आधार पर किया जाना है।
- राज्य स्तर से Inspection Certificate की पूर्णरूपेण समीक्षा एवं जांच के उपरान्त अभिप्राप्ति Certificate संबंधित एजेंसी को हस्तगत कराया जाएगा। तदुपरान्त संबंधित एजेंसी राज्य स्तर पर अभिप्राप्ति Inspection Certificate के आधार पर भुगतान हेतु संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को विपत्र समर्पित करेगी।
- सभी नर्सिंग स्कूलों में स्किल लैब की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ हीं अब तक कुल 12 स्कूलों के Inspection Certificate को राज्य स्तर से अभिप्राप्ति कर संबंधित एजेंसी को समर्पित कर दिया गया है। शेष 10 स्कूलों के Inspection Certificate की राज्य स्तर से जांच प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होते हीं अभिप्राप्ति Inspection Certificate एजेंसी को हस्तगत करा दिया जाएगा।
- एकरारनामा के अनुरूप एजेंसी के विपत्र भुगतान से पूर्व जांच की सभी प्रक्रियाएं राज्य स्तर पर पूर्ण हो जाने के उपरान्त हीं एजेंसी को अभिप्राप्ति Inspection Certificate हस्तगत कराया जाता है। अतः राज्य स्तर पर अभिप्राप्ति Inspection Certificate के आधार पर समर्पित विपत्र के अनुरूप एजेंसी का भुगतान किया जाना है।
- जिलों को राशि का आवंटन एकरारनामा के अनुरूप Equipments और Mannequins की Warranty Period के लिए रखी जाने वाली 10 प्रतिशत राशि को काटकर की जा रही है। अतः प्रत्येक जिले को आवंटित संपूर्ण राशि संबंधित एजेंसी के भुगतान हेतु दी जा रही है।
- एकरारनामा के अनुरूप एजेंसी द्वारा विपत्र समर्पित करने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान कर दिया जाना है। विलंब की स्थिति में एजेंसी द्वारा Intrest Charge करने का प्रावधान है।
- अतः जिन जिलों में संबंधित एजेंसी द्वारा विपत्र समर्पित कर दिया गया है, वे राशि प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र हीं भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। जिन जिलों में एजेंसी द्वारा विपत्र समर्पित नहीं किया गया है, वे विपत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

✓

Chs

४८४

286

- सभी संबंधित जिलों को भुगतान की राशि आवंटित की जा रही है। अतः भुगतान में विलंब होने पर एजेंसी द्वारा Intrest Charge करने की स्थिति में अतिरिक्त राशि के भार की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति की होगी।
- संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति एजेंसी के भुगतान के उपरान्त अविलंब सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराएंगे।
- उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा (SOE) असैनिक शल्य चिकित्सक सह सदस्य सचिव, संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का खर्च सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करते हुये बिहार सरकार की वित्तीय नियमावली 2005 के आलोक में की जाएगी।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : डॉ वाई० एन० पाठक
 राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नर्सिंग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9470003829

✓

J

10/1
284